E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
Impact Factor (RJIF):7.28
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2025; 7(10): 71-73
Received: 05-09-2025
Accepted: 08-10-2025

डॉ. अवधेश कुमार
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

श्वेता सिंह
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. अवधेश कुमार
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सहकारी संघवाद एवं नीति आयोग

अवधेश कुमार, श्वेता सिंह

DOI: https://www.doi.org/10.33545/27068919.2025.v7.i10a.1716

सारांश
भारतीय राजव्यवस्था में संघवाद की सहकारी अवधारणा को मजबूत करने की प्रवृत्ति रही है। राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संघवाद एक प्रमुख उपकरण है। नीति आयोग को भारत में सतत् विकास की ओर उन्मुख करने एवं राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति को बनाने हेतु महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया है। दक्षता एवं निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती हमेशा ही संघवाद का अहम पक्ष रहा है। भारत में संघीय व्यवस्था के सफल होने में संवैधानिक प्रावधानों के साथ ही, भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र का योगदान भी अनुपम है। नीति आयोग ने राज्यों के माध्यम से सतत् आधार पर अपने प्रयासों से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया है, जिसका आधार है कि मजबूत राज्यों से सशक्त राष्ट्र बनते हैं। भारत का संविधान एक सशक्त केन्द्र के साथ संघीय संरचना का प्रावधान करता है। भारत का संविधान 'फेडरेशन' शब्द का प्रयोग नहीं करता अपितु संविधान भारत को ''राज्यों का संघ'' के रूप में वर्णित करता है। जिसका तात्पर्य एकात्मकता के साथ सहकारी संघात्मक स्वरूप बनाये रखना है। संघीय भावना मजबूत करने की दिशा में नीति आयोग की भूमिका एकता के साथ विविधता को स्वीकार करने जैसा है। अनेक बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी हम भारत के लोगों एवं यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में अतुल्य योगदान दिया है, जिससे भारतीय लोकतंत्र में गाथा प्रगति पथ पर अग्रसर है।

कुटशब्दः संघवाद, नीति आयोग, राजनीतिक व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

प्रस्तावना
''देशीय सरकार में एकता और सहयोग अनिवार्य तत्व है।''

– सरदार बल्लभभाई पटेल

संघवाद, केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के वितरण का एक साधन है। संघवाद में क्षेत्रीय विविधता को बनाये रखते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जाता है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संघवाद की व्याख्या इस प्रकार की है– ''संविधान का मसौदा संघीय संविधान है क्योंकि यह दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। प्रस्तावित संविधान के अन्तर्गत दोहरी शासन व्यवस्था के केन्द्र में संघ तथा परिधि पर राज्य होंगे तथा दोनों के पास संविधान में उल्लिखित अपने–अपने क्षेत्रों में सम्प्रभु अधिकार होंगे।'' सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र बनाते हैं। पूर्ववती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग सहयोगी कार्यक्रमों एवं राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ जुड़े रहने की प्रक्रिया के माध्यम से सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने की अनेक पहल कर रहा है। नीति आयोग भारतीय संघवाद को मजबूत आधार प्रदान करता है। नीति आयोग संघवाद में संघीय भावना को जागृत स्वरूप में लाकर, 2047 तक विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। जो कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। यह दौर सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर आधारित संघीय संरचना का नवीन युग है, जिसे नीति आयोग के गठन के बाद पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। संघवाद, जिन दो सरकारों, एक राष्ट्रीय स्तर एवं राज्यों के स्तर पर सम्मिलन का संस्थागत तंत्र है। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी अपनी स्वायत्तता भी है। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ उनके उत्तरदायित्वों और कार्यों का सीमांकन करती है। नीति आयोग राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से साझा राष्ट्रीय विजन विकसित करने का प्रयास करता है। आयोग ने एक ऐसा अवसर दिया है जिसमें राष्ट्रीय हित के लिए साथ मिलकर विचार विमर्श किया जा सके। नीति आयोग विकास योजनाओं का निरूपण एवं उनकी समीक्षा करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी के माध्यम से सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के दोहरे दायित्वों का निभाने के लिए प्रयासरत् है। नीति आयोग को राज्यों के साथ साझेदारियों के जरिए सुधारों और नीतिगत पहलों को व्यापक एवं प्रभावी तरीके से लागू करने में अग्रिम भूमिका निभानी

नीति आयोग 'सर्वप्रथम राज्य' (Nation First) दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कार्यरत् है। उसके मूल सिद्धांतों में सहकारी संघवाद है। आयोग देश के निरंतर एवं सतत आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार करता है; जिसमें राज्यों की भागीदारी प्रमुख है।

संघीय शासन में केन्द्रीय प्राधिकार एवं उसकी विभिन्न इकाईयों के बीच सत्ता का विभाजन हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार एवं राज्यों के स्तर पर राज्य सरकार जो क्षेत्रीय स्तर पर शासन को मजबूत आधार प्रदान करती है। संघीय शासन में दोहरे उद्देश्य देश की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के साथ क्षेत्रीय विविधता का भी सम्मान किया जाता है। भारत में संवैधानिक स्तर पर प्रारम्भ में केन्द्र व राज्य सरकार का प्रावधान था लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से तीसरे स्तर की सरकार पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का गठन का प्रावधान जोड़ा गया। केन्द्र व राज्यों के मध्य सम्बन्धों का उल्लेख संविधान के भाग XI और XII में विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय सम्बन्धों के तहत किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनों के क्रियान्वयन में न्यायपालिका प्रमुख भूमिका निभाती है। सरकार चलाने और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए आवश्यक राजस्व की उगाही के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है। परन्तु प्रायः अधिकतम धन संग्रह केन्द्र सरकार के पास ही होता है, राज्य सरकारें काफी कम कर संग्रह कर पाती है।

भारत में संघवाद की जो प्रकृति रही है उस आधार पर ग्रैनविल आस्टिन ने इसे 'सहकारी संघवाद' कहा है जहाँ राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता के साथ विविधता का सम्मान किया जाता है। के.सी. ह्वीलर ने भारतीय संघीय व्यवस्था को 'अर्द्ध संघीय' कहा है। इसके अतिरिक्त भारत की संघीय संरचना में स्पष्टीकरण के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है। जिनका उल्लेख निम्नलिखित है–

1. **सातवी अनुसूची:** यह संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, तीन सूचियों के माध्यम से करती है। जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची शामिल है। अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में निहित है।
2. **अनुच्छेद–1:** भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में परिभाषित करता है।
3. **अनुच्छेद–245:** संसद एवं राज्य विधानमण्डल को अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है।
4. **अनुच्छेद–246:** उन नियमों को सूचीबद्ध करता है जिन पर संसद और राज्य विधानमण्डल कानून बना सकते हैं।
5. **अनुच्छेद–263:** सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक अन्तर–राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान।
6. **अनुच्छेद 279:** राष्ट्रपति को जी.एस.टी. परिषद के गठन का अधिकार देता है।

उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी समय–समय पर केन्द्र–राज्य सम्बन्धों में तनाव देखने को मिलता है। भारत में संघीय भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जिससे व्यवहार में सामंजस्य बना रहे। विविध जनसांख्यिकी एवं सांस्कृतिक विविधता से संघीय भावना को मजबूत करने के लिए आधार बनाना होगा। आधुनिक समय में भारतीय संघवाद दो भिन्न प्रवृत्तियों, सामान्य हितों की व्यापकता एवं स्थानीय स्वायत्तता की आवश्यकता के बीच सामंजस्य का प्रतिनिधित्व व्यवहारिक धरातल पर कर रहा है। आखिरकार भारत को उच्च वृद्धि पक्ष पर ले जाने और विकास के लाभ का सभी में समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने का दायित्व केन्द्र व राज्य दोनों का है।

संघीय भावना मजबूत करने में नीति आयोग की भूमिका

नीति आयोग 1 जनवरी, 2015 से पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर तीव्र राजनीतिक–आर्थिक–प्रशासनिक कायाकल्प के लिए सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को सशक्त करने में सक्रिय है। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद में सभी राज्यों एवं विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के उप–राज्यपाल शामिल होते हैं। केन्द्र एवं राज्य इस मंच में आपसी सहमति करके प्रगति तथा समृद्धि साझा कर सकते हैं। नीति आयोग ने बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए केन्द्र–राज्य साझेदारी मॉडल : राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को विकास सहयोग की सेवा तथा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफर्मिंग ह्यूमन कैपिटल (साथ) कार्यक्रम जैसी निजी–सार्वजनिक साझेदारी में नई जान फूँकने और उसे स्थापित करने के लिए कार्यक्रम भी चलाए हैं।

वर्ष 2015 में नीति आयोग को जो उत्तरदायित्व दिए गए उनके निर्वाहन के लिए राष्ट्रीय सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों एवं निजी क्षेत्र और नवोन्मेषकों के साथ सार्थक हिस्सेदारी स्थापित करने की दिशा में गतिशील है। जहाँ योजना आयोग संसाधनों के संवितरण की भूमिका में बना रहा, उसके स्थान पर नीति आयोग ने सभी हितधारकों के साथ चिंतन साझेदार के रूप में कार्य करता है। अब प्रत्येक राज्यों के साथ मिलकर उनकी परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएँ तैयार करने की कार्यशैली पर कार्य संचालित हो रहा है। नीति आयोग ने विकेन्द्रीकरण और राज्यों की समान साझेदारी को प्राथमिकता दिया है। संघीय भावना को मजबूत करने के लिए आयोग ने राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच सीधे मुद्दों पर आधारित संवाद के लिए माध्यम उपलब्ध कराया है। जिससे जो मुद्दे हो, उनका समाधान त्वरित रूप से किया जा सके। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नीति फोरम का गठन किया गया है, जो पूर्वोत्तर परिषद के साथ हिस्सेदारी करके क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित सारगार्भित नीतियों को क्रियान्वित करेगा। नीति आयोग ने द्वीपीय विकास के लिए ग्रेट निकोबार परियोजना, लक्षद्वीप में भूमि बिला परियोजना जैसे पहलों को उपयुक्त प्राधिकरणों के माध्यम से गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में क्रियान्वित करा रहा है। नीति आयोग ने अपने क्षेत्र आधारित सूचकांकों व सर्वे के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को व्यवहारिक रूप से बढ़ावा दे रहा है। जिसके कुछ उदाहरण–संयुक्त जल सूचकांक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आदि। नीति आयोग के प्रमुख दस्तावेज 'नये भारत के लिए रणनीति / 75' में विकसित भारत बनने की दिशा के लिए कई नीतिगत सुझाव है। नीति आयोग ने देश भर में एक नवाचार प्रणाली को प्रोत्साहन देने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिनका एक उदाहरण–अटल नवाचार मिशन है।

चुनौतियाँ

भारत जैसे विविधता भरे देश में संघवाद का जो स्वरूप अपनाया गया वह सराहनीय है। समय–समय पर राज्यों के गठन को लेकर अखिल भारतीय सेवा एवं राज्यपाल की भूमिका को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ है लेकिन राज्यव्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र ने सामंजस्य बनाये रखने में अहम रही। लगातार बदलती आर्थिक स्थितियों से केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्ध भी सवालों के घेरे में आते रहे हैं लेकिन वित्त आयोग एवं नीति आयोग की सहकारी भूमिका ने समस्याओं को चुनौती के रूप में लेकर समाधान के मार्ग बनाये हैं। कोविड संकट के समय केन्द्र एवं राज्यों ने जिस सूझ–बूझ का परिचय दिया उससे संघवाद की सहकारी प्रवृत्ति स्पष्ट उजागर हुई। आगे भी सतत् विकास लक्ष्यों को स्थानीय रूप प्रदान करके उप–राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

भारत की विविधता को देखते हुए संघीय भावना को बनाये रखना एक बड़ी चुनौती है। समय–समय पर क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने अधिकारों एवं अपनी सीमाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध करती है। संघवाद में मजबूत केन्द्र सरकार से राज्यों के अधिकारों एवं सीमाओं का संरक्षण संविधान के माध्यम से होता है। भारत की न्यायपालिका के न्याय का आधार संविधान होता है। जिससे एकात्मकता से बचाव करते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित किया जाता है। जैसा कि आइवर जेनिंग्स का मानना है कि भारतीय संघवाद 'केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति युक्त संघवाद' है। राज्यपाल के पद, अखिल भारतीय सेवाओं, राष्ट्रीय जाँच एजेंसियों आदि पर समय–समय पर सरकारों ने अपनी आपत्ति जताई है। देश के समृद्ध व सतत् विकास के लिए आवश्यक है मतभेदों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखा जाए, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिस भारत का स्वप्न देखा गया था वह साकार हो सके। इक्कीसवीं सदी के जिस तीसरे दशक में जहाँ देश आज खड़ा है वह समय समस्त विश्व के लिए चुनौती भरा है। वैश्विक चुनौतियों से सामंजस्य बैठाकर ही पार पाया जा सकता है। आन्तरिक हो या वाह्य चुनौतियाँ उनका समाधान समस्या बनने से पहले हो, इस दिशा में भारत को भी प्रयास करना होगा।

आगे की राह

भारत जैसे विविधता भरे राजनीतिक व्यवस्था में शासन के प्रतिरूप एवं संस्थाओं की भूमिका उत्साहजनक है। आजादी के बाद से संविधान में संस्थाओं एवं शासन के साथ जनता का जो विश्वास रहा है उसे भारतीय संघीय अवधारणा में नीति आयोग ने और मजबूत किया है। भारत के विकास की राह को सतत् स्वरूप प्रदान करने में इस परिवर्तनकारी आयोग का प्रयास व प्रगति सतत् बनी रही है। लोकतांत्रिक चरित्र को मार्गदर्शक के रूप में रखते हुए संघीय भावना, विविधता का आदर तथा साझा आदर्श को सामने रखना होगा। जिसमें नीति आयोग को सक्रिय भूमिका में आगे रहना ही होगा।

संघवाद संसाधनों के विकेन्द्रीकरण के साथ लगातार केन्द्र व राज्यों के बीच एक कठिन संतुलन बनाए रखना चाहता है। केन्द्रीय व राज्य स्तर की सरकारों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों को भी सशक्त करना चाहिए जिससे वास्तविक विकेन्द्रीकरण हो सके। सहकारी संघवाद के साथ–साथ आवश्यकता है सहकारी उप–संघवाद की। जिसमें भारत के गाँव व नगर विकास पथ पर समान भागीदारी निभा सके।

नीति आयोग को आने वाले वर्षों में ऐसे प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा जिससे केन्द्र व राज्य सरकारों दोनों को देश के सबसे जटिल मुद्दों को समाधान तक ले जाना सुगम होगा। भारत की युवा आबादी की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए देश की जी.डी.पी. की उच्च वृद्धि दर बनाए रखना होगा। देश के विकसित भारत बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों को सहकारी संघीय भावना के अनुरूप रखा जाए। जिससे निरंतर समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्र–राज्य सम्बन्धों के स्तर पर सबसे अहम पहलू यह है कि राज्यों को देश की वृद्धि का ही नहीं बल्कि देश में नागरिकों के जीवन में परिवर्तन का भी वाहक माना जाता है। नीति आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्द्धी संघवाद से सामंजस्य मिलाते हुए भारत के समृद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तीसरे स्तर की सरकार के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के साथ–साथ संघीय भावना को और मजबूत आधार मिल गया है। व्यवहार में संघीय भावना को मजबूत करने से संघवाद संविधान का मूल तत्व बन गया है। नीति आयोग विविधता में एकता का एक सुन्दर उदाहरण है जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सकारात्मक भूमिका का निर्वाहन कर रहा है।

जितना अधिक सामंजस्य केन्द्र एवं राज्यों के मध्य होगा उतना ही वे सहमति के साथ एक–दूसरे के साथ सहयोगी एवं प्रतिपूरक होंगे। नीति आयोग के गठन ने इस बात की पुष्टि की है कि विविधताओं और स्वायत्तता की मांग के प्रति उत्तरदायी राज्य शासन विधि ही सहकारी संघवाद का आधार हो सकती है। सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान करने की दिशा में नीति आयोग को निरंतर अपना प्रयास जारी रखना होगा जिससे व्यापक अर्थों में भारत के विकास को विस्तार व सफलता के शिखर तक लाने में केन्द्र व राज्यों को समान साझेदारी के रूप में कार्य करना होगा। सशक्त सहकारी संघीय भावना को मजबूती प्रदान करने से समर्थ भारत की सक्षमता में और प्रगति होगी।

संदर्भ सूची

1. बागची, ए (2003), ''फिफ्टी इयर्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इण्डिया : ए अप्रेजल'', नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी प्रकाशन।
2. नीति आयोग स्ट्रेटेजी फार न्यू इंडिया / 75 रिपोर्ट, 2018।
3. खत्री, हरीश कुमार (2016), भारतीय संघीय व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन, कैलाश पुस्तक सदन, भापोल।
4. खत्री, हरीश कुमार (2019), भारतीय शासन एवं राजनीति कैलाश पुस्तक भवन, भोपाल।
5. शर्मा, रामशरण (2019), योजना आयोग से नीति आयोग, बुकमान प्रकाशन।
6. सक्सेना, के.डी. (2019), नीति आयोग एण्ड प्लानिंग कमीशन, शिप्रा प्रकाशन।
7. सिसोदिया, यतीन्द्र, सिंह, उदय, मिश्र, पुष्पेन्द्र (2025), समकालीन भारतीय संघवाद : चुनौतियाँ, अवसर एवं संभावनाएँ।
8. शर्मा, धर्मराज (2016), भारतीय संघ व्यवस्था : केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, रावत प्रकाशन।
9. यादव, डॉ. बृजेश (2020), भारत में संघवाद, गोयल प्रकाशन।
10. अवस्थी, एस.एस. (2010), भारतीय सरकार एवं राजनीति, हर आनन्द प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. चन्दा, अशोक (1965), फेडरलिज्म इन इण्डिया, एलेन एवं उर्दित प्रकाशन, लंदन।
12. भारत का संविधान (2021)।